

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: सं क ल प ::

पटना- 15, दिनांक-

श्री आलोक कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 956/11, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जमुई के विरुद्ध रू0 2,22,21,855/- (दो कराड़ बाईस लाख इक्कीस हजार आठ सौ पचपन रूपया) प्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 006/2017 दिनांक 18.01.2017 धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0, 1988 के तहत दर्ज करते हुए प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है।

2. श्री कुमार को प्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के प्रावधानों के तहत तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-10(1) के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/नि0था0-11-02/2017 -सा0प्र0- 9039/पटना, दिनांक- 21/07/2017

स्पीड पोस्ट

फैक्स

प्रतिलिपि :- वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, जमुई/पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, पटना/श्री आलोक कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 956/11, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जमुई/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-12, 14, चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/17

सरकार के संयुक्त सचिव।